(50)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 710–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–1–2016 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, खिरकिया जिला हरदा प्रकरण कमांक 04/2015–16/अपील.

ओमप्रकाश पिता मोतीराम
निवासी ग्राम भटपुरा
तहसील सिराली जिला हरदा .....आवेदक

विरूद्ध

धापूबाई पति घुडिया उर्फ चुन्नी पुत्री मोतीराम
निवासी ग्राम भटपुरा
तहसील सिराली जिला हरदा .....अनावेदिका

श्री फहीम खान, अभिभाषक, आवेदक
श्री भगवानदास ढोके, अभिभाषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/1/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानीं म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, खिरकिया जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–1–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार, सिराली के आदेश दिनांक 12–2–2004 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, खिरकिया जिला हरदा के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 19–11–15 को विलम्ब से प्रस्तुत की गई । साथ ही विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 04/2015–16/अपील दर्ज कर दिनांक

18–1–2016 को अंतरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण अतिरिक्त साक्ष्य एवं अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में नहीं दर्शाया गया है । यह भी कहा गया कि विलम्ब क्षमा करने के लिए प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण बताया जाना आवश्यक है, परन्तु अनावेदिका द्वारा दिन–प्रतिदिन के विलम्ब का कारण नहीं दर्शाया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पंचनामा पर अनावेदिका के व्यस्क पुत्र के हस्ताक्षर एवं उसके पति द्वारा भी अंगूठा निशानी लगाई गई है, इससे स्पष्ट है कि अनावेदिका सहित उसके पूरे परिवार को तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी प्रारंभ से ही रही है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका मृतक भूमिस्वामी की पुत्री होकर हितबद्ध पक्षकार है, और तहसील न्यायालय द्वारा उसे न तो किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई है, और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिए उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । नामांतरण पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामांतरण पंजी पर मृतक भूमिस्वामी की पुत्री का कोई उल्लेख नहीं है, और न ही उन्हें किसी प्रकार की कोई सूचना दिया जाना नामांतरण पंजी से परिलक्षित होता है, जबकि वह मृतक भूमिस्वामी की पुत्री होकर प्रश्नाधीन भूमि में अपना हित रखती है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है । वैसे भी

प्रकरण का निराकरण समय–सीमा जैसे तकनीकी आधार पर नहीं किया जाकर गुण–दोष पर किया जाना चाहिए ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, खिरकिया जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–1–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर